

पत्र संख्या : 7ब/4701 योज०सं०-01/18 135

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची।

संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 15/01/19

विषय :- मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-70-ई गवर्नेंस, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय 59 अन्य व्यय, विपत्र कोड-49S470180796700759 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में निधि का आवंटन।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृतिदेश संख्या-38/18-19, दिनांक 28.12.2018

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2018-19 में परिशिष्ट-1 में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	उप शीर्ष/ विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख ₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग / 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / 80-सामान्य / 796-जन-जातीय क्षेत्र उपयोजना	70-ई-गवर्नेंस, 07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय 49S470180796700759	13.8486	

आवंटित राशि - ₹ तेरह लाख चौरासी हजार आठ सौ साठ मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2018-19 के बजट उपबंध रु. 70.00 लाख (सत्तर लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1363 दि. 09.05.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम एवं तकनीकी स्वीकृति के अन्तर्गत परिशिष्ट-1 के विवरण के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

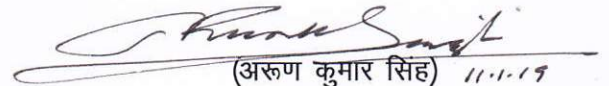
(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 फरवरी 2019 तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


(अरुण कुमार सिंह) 11.1.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 135

राँची, दिनांक :- 15/01/19

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(अरुण कुमार सिंह) 11.1.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 135

राँची, दिनांक :- 15/01/19

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।



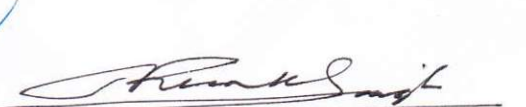
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)



(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव



(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1



(अरुण कुमार सिंह) 11.1.19
अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक :- 135

दिनांक :- 15/01/19

परिशिष्ट :- 1

मौग संख्या-49-जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,
उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,
लघु शीर्ष -796-जन-जातीय क्षेत्र उपयोगना
उप शीर्ष -70-ई. गवर्नेस,
विरसृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59-अन्य व्यय, 49S470180796700759
वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध 70.00 लाख (सत्तर लाख) रुपये मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग / राशि	मार्च 2018 तक व्यय	वर्ष 2018-19 में निर्गत आवंटन				On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
						पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जलपथ प्रमंडल, सैदी (DRNMAIR013)	फै	सचिवालय अंतर्गत विभिन्न कोषांग के लिये Computer उपकरण, प्रिन्टर, स्कैन्स, लैपटॉप इत्यादि के क्रय हेतु।	38 / 18-19 प्र.स्वी. / सैदी, दिनांक 18.12.2018 Online A.A-1658/18.12.18	22.6650	0.00	0.0000	13.8486	13.8486	82232	आवंटित राशि का व्यय परिशिष्ट 2 के अनुरूप किया जायेगा।
कुल योग						0.00	0.0000	13.8486	13.8486		
आवंटित राशि:- ₹ तेरह लाख चौरासी हजार आठ सौ साठ मात्र।											

(राजेंद्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

पत्रांक :- 135 दिनांक 15/01/19 का अनुलग्नक परिशिष्ट - 2

विपत्र कोड - 49P470180796700759

क्र.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण	अधिष्ठापन का स्थान	संख्या	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	9	10
1	जलपथ प्रमंडल, राँची (DRNMIR013)	सचिवालय अंतर्गत विभिन्न कोषांग के लिये Computer उपकरण, प्रिन्टर, स्कैनर, लैपटॉप इत्यादि के क्रय हेतु	Computer Desktop (HP 280 G3)	विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची	1	38900	
			HP Laserjet 1020 Printer		1	13500	
			UPS (Luminous 600 vs)		1	2520	
			Pen Drive (hp) - 32 GB		1	700	
			LAPTOP (Lenovo Ideapad 320)	अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची	1	42000	
			Pen Drive (hp) - 32 GB		1	700	
			Computer Desktop (HP 280 G3)	प्रशाखा-1, जल संसाधन विभाग, राँची	4	155600	
			HP Laserjet 1020 Printer		3	40500	
			Scanner (EPSON Flatbed Scanner V 39)		2	8000	
			UPS (Luminous 600 vs)		4	10080	
			Pen Drive (hp) - 32 GB	प्रशाखा-3, जल संसाधन विभाग, राँची	4	2800	
			Computer Desktop (HP 280 G3)		4	155600	
			HP Laserjet 1020 Printer		3	40500	
			Scanner (EPSON Flatbed Scanner V 39)		2	8000	
			UPS (Luminous 600 vs)	लेखा शाखा, जल संसाधन विभाग, राँची	4	10080	
			Pen Drive (hp) - 32 GB		3	2100	
			Computer Desktop (HP 280 G3)		1	38900	
			HP Laserjet 1020 Printer		1	13500	
			Scanner (EPSON Flatbed Scanner V 39)	उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग, राँची	1	4000	
			UPS (Luminous 600 vs)		1	2520	
			Pen Drive (hp) - 32 GB		1	700	
			LAPTOP (HP 15 - CC129TX - core i5)		1	57000	Web Information Manager के लिये
			Computer Desktop (HP 280 G3)		1	38900	
			HP Laserjet 1020 Printer		1	13500	
			Scanner (EPSON Flatbed Scanner V 39)		1	4000	
			UPS (Luminous 600 vs)		1	2520	
			Pen Drive (hp) - 32 GB		4	2800	
			Logitech Optical Mouse		4	2000	
			Key Board		4	2000	
			HP Color Laser Jet Cartige (Model-CP1025)		1 Set	14000	
			RICOH MP 2501 SP (25PPM, Duplex, Printer Scan, Copier) with CVT & Trolley	प्रशाखा-8, जल संसाधन विभाग, राँची	1	167500	
			Computer Desktop (HP 280 G3)		5	194500	
			HP Laserjet 1020 Printer		5	67500	
			Scanner (EPSON Flatbed Scanner V 39)		2	8000	
			UPS (Luminous 600 vs)		5	12600	
			Pen Drive (hp) - 32 GB		5	3500	

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूध)
विशेष सचिव

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

विपत्र कोर्ड - 49P470180796700759

क्र.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण	अधिष्ठापन का स्थान	संख्या	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	9	10
1	जलपथ प्रमंडल, राँची (DRNMIR013)	सचिवालय अंतर्गत विभिन्न कोषांग के लिये Computer उपकरण, प्रिन्टर, स्कैनर, लैपटॉप इत्यादि के क्रय हेतु।	Computer Desktop (HP 280 G3)	अभियंता प्रमुख-1, जल संसाधन विभाग, राँची	1	38900	
			HP Laserjet 1020 Printer		2	27000	
			Scanner (EPSON Flatbed Scanner V 39)		1	4000	
			Pen Drive (hp) - 32 GB		1	700	
			HP Laserjet 1020 Printer	अपर मुख्य सचिव कोषांग, जल संसाधन विभाग, राँची	1	13500	
			Computer Desktop (HP 280 G3)	विधि कोषांग, जल संसाधन विभाग, राँची	1	38900	
			HP Laserjet 1020 Printer		1	13500	
			Scanner (EPSON Flatbed Scanner V 39)		1	4000	
			UPS (Luminous 600 vs)		1	2520	
			Pen Drive (hp) - 32 GB		1	700	
			Computer Desktop (HP 280 G3)	बजट शाखा, जल संसाधन विभाग, राँची	1	38900	
			HP Laserjet 1020 Printer		1	13500	
			Scanner (EPSON Flatbed Scanner V 39)		1	4000	
			UPS (Luminous 600 vs)		1	2520	
			Pen Drive (hp) - 32 GB		1	700	
Total						1384860	
आवंटित राशि:- ₹ तेरह लाख चौरासी हजार आठ सौ साठ मात्र।							

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

135
15/01/19